

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdacad1960@gmail.com](mailto:jdacad1960@gmail.com) - Ph 0141-2706550

क्रमांक:-एफ. 7 (4) टीकाकरण /अकाद/आकॉशि/2021/ 343

दिनांक :-11 अक्टूबर, 2021

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान ।


विषय:-राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिनके माता/पिता  
अथवा पति की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो, को निःशुल्क शिक्षा  
प्रदान करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे  
विद्यार्थी जिनके माता/पिता अथवा पति की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो, उन्हें  
राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा (सम्पूर्ण शुल्क माफी) प्रदान किये जाने के  
साथ- साथ राजकीय महाविद्यालयों में स्थित छात्रावासों में भी निःशुल्क प्रवेश दिये जाने  
का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः उक्त निर्णय की पालना आपके महाविद्यालय में सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


  
(डॉ० सौमित्र नाथ झा)  
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)  
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

क्रमांक:-एफ. 7 (4) टीकाकरण /अकाद/आकॉशि/2021/ 343

दिनांक :-11 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु ।

  
(डॉ० सौमित्र नाथ झा)  
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)  
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।